उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2
संख्या-4/2015/539/43-2-2015-15/2(2)/03 टीसी
लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

शासन स्तर पर अनुभाग अधिकारी को पदेन जन सूचना अधिकारी नामित किये जाने विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2/2015/445(1)/43-2-2014-15/2(2)/03 टीसी, दिनांक 18 मार्च, 2015 में एतदद्वारा निम्नांकित आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है : -

"उक्त के क्रम में यह भी व्यवस्था की जाती है कि विभागीय प्रमुख साचिव / सचिव विभागीय परिस्थितियों के अनुसार अपने स्तर से जन सूचना अधिकारी नामित कर सकते हैं।"

उक्त शासनादेश दिनांक 18 मार्च, 2015 यथासंशोधित समझा जायेगा एवं शेष व्यवस्थायें यथावत रहेंगी।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, राज्य सूचना आयोग उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग अधिकारी / जन सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी ।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

डा0 नन्द लाल
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।